चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 02 परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदक जितेन्द्र कुमार पयासी ने अपने पत्नी व ससुरानीजनों के विरुद्ध फर्जी दहेज के मुकदमें में फसाने व लड़ाई – झगड़ा करने तथा आवेदिका पप्पी देवी ने अपने पति के विरूद्ध लड़ाई झगड़ा,मारपीट तथा घर से बाहर निकालने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा भैंस चोरी के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लवकुश कुमार पुत्र भोण्डा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी निजामपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

एक रास भैंस

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.07.2026 को वादिया मन्नू देवी पत्नी सोनू निवासी खपटिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने थाना मऊ पर सूचना दी कि दिनांक 20.07.2026 को बीती रात्रि में परिवार के सदस्य खाना खा पीकर सोने चले गये,जब सुहब 03.00 बजे उठी तो देखा कि घर के आगे बधी भैंस को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 264/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ को चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दिनाँक 20.07.2026 को उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लवकुश कुमार पुत्र भोण्डा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी निजामपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को एक भैंस के साथ समय 22.33 बजे खपटिहा पटोरी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक रास भैंस बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा

2.मुख्य आरक्षी पवन कुमार तिवारी
3.आरक्षी कुलदीप द्विवेदी